झारखण्ड सरकार

पयटन, कला संस्कृति, खलकद एवं यवा काय विभाग (पयटन)

पशिक्षण हत विज्ञापन

हनर स राजगार सबंधो पशिक्षण कायक्रम

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार ने लघु रोजगार आधारित (Capacity Building for Service Provider (CBSP)) स्कीम के तहत प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम प्रारम्भ करने की घोषणा की है, जिसके तहत ऐसे युवा जो न्यूनतम 8वी उत्तीर्ण हो एवं जिनकी आयु दिनांक–**01.04.2016** को न्यूनतम **18** वर्ष एवं अधिकतम **28** वर्ष के मध्य हो, को निम्नांकित ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाएगा :

1. खान–पान सेवा प्रशिक्षण कोर्स (Food & Beverage Service)–6 सप्ताह का पूर्णकालिक प्रशिक्षण
2. हाऊस कीपिंग प्रशिक्षण कोर्स (House Keeping)–6 सप्ताह का पूर्णकालिक प्रशिक्षण

- उपरोक्त दोनों हुनरों (Trade) का प्रशिक्षण पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा चयनित प्राथमिकता का आधार पर राष्ट्रीय कौशल विकास समिति (National Skill Development Committee) से सूचीबद्ध अभिकरण (Empanelled Agency) द्वारा कराया जाएगा। एक बैच में प्रत्येक कोर्स में 30–30 प्रशिक्षणार्थी रखे जाएगें। उक्त प्रशिक्षण निःशुल्क होगा।
- प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को (1) खान–पान सेवा प्रशिक्षण कोर्स (Food & Beverage Service) Rs. 1500/- की दर से एवं (2) हाऊस कीपिंग प्रशिक्षण कोर्स (House Keeping) Rs. 1500/- की दर से छात्रवृत्ति दी जाएगी।
- प्रशिक्षण में 90% उपस्थिति होने पर ही छात्रवृति दी जाएगी। इसके अतिरिक्त निःशुल्क आवास, भोजन एवं यूनिफार्म आदि की सुविधा भी सरकार के द्वारा दी जायेगी।
- उक्त प्रशिक्षण के समाप्ति पर सफल उम्मीदवारों को प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाएगा।
- प्रशिक्षण के लिए योग्य उम्मीदवारों को नीचे अंकित विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा। प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों का चयन प्राथमिकता के आधार पर झारखण्ड के पर्यटन स्थलों के 5 से 10 कि०मी० की दूरी पर स्थित युवाओं को **''पहले आये पहले पाये''**(First Come First Serve) के आधार पर किया जाएगा। आवेदन देने की अंतिम तिथि **24.03.2017** है।
- **उम्मीद्वार के चयन में निम्न शर्त्तो का अनुपालन किया जायेगा :–**
  - (i) उम्मीदवारों के चयन में BPL उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायेगी।
  - (ii) BPL उम्मीदवार प्राप्त नहीं होने पर शेष सीट APL उम्मीदवारों से भरी जायेगी।
  - (iii) किसी भी बैच में कार्यक्रम में प्रवेश **''पहले आये पहले पाये''** के आधार पर होगा।
  - (iv) उम्मीदवार कम से कम कक्षा आठ पास होना चाहिए तथा उसकी आयु 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तथापि स्नातक उपाधि अथवा डिप्लोमा धारक और अधिक अर्हता धारक इस कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे।
  - (v) उम्मीदवारों के चयन में वरीय व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी जिससे वे भविष्य में अधिकतम आयु के प्रतिबंध से प्रभावित न हो।

- -

प्रपत्र

हनर स राजगार सबंधो पशिक्षण कायक्रम

1. खान–पान प्रशिक्षण कोर्स (Food & Beverage Service)–6 सप्ताह का पूर्णकालिक प्रशिक्षण ☐
2. हाऊस कीपिंग प्रशिक्षण कोर्स (House Keeping) –6 सप्ताह का पूर्णकालिक प्रशिक्षण ☐

(इच्छुक कोर्स हेतु किसी एक को √ चिहिन्त करें)

---

1. आवेदक का नाम : ....
2. पिता / पति का नाम : ....
3. स्थायी पता : ....
   ....
4. वर्तमान पता : ....
   ....
5. फोन नं० / मो० नं० : ....
6. शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण–पत्र–छाया प्रति के साथ) : ....
7. जन्म तिथि / उम्र (प्रमाण–पत्र–छाया प्रति के साथ) : ....
8. आरक्षण कोटि (प्रमाण–पत्र–छाया प्रति के साथ) : ....
9. अनुभव (यदि हो) (प्रमाण–पत्र–छाया प्रति के साथ) : ....
10. कोटि BPL/APL (प्रमाण–पत्र–छाया प्रति के साथ) : ....
11. आधार संख्या (प्रमाण–पत्र–छाया प्रति के साथ) : ....

घोषणा पत्र

मैं सत्य एवं निष्ठा के साथ घोषित करता / करती हूँ कि उपर्युक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी में सही है। भविष्य में यदि कोई सूचना गलत पायी जाएगी तो इसके लिए मैं उत्तरदायी / दण्ड का भागी बनूँगा / बनूँगी।

स्थान : ....

तिथि : ....

आवेदक का हस्ताक्षर

- -

नोट : आवेदन पत्र निदेशक, पर्यटन निदेशालय, झारखण्ड सरकार, द्वितीय तल, एम०डी०आई० भवन, धुर्वा, राँची–834004 के पते पर निबंधित डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से भेजे जाए। संबंधित लिफाफे के ऊपर **''हुनर से रोजगार''** अवश्य अंकित करें।

ह० / –

निदेशक,

पर्यटन